संख्या:8/2023/ I/420756/2023/001-46-2002-002-2-2023

प्रेषक,

शेषनाथ,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

चीनी आयुक्त,

उ.प्र., लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 03 नवम्बर, 2023

विषय:- प्रदेश की रूग्ण सहकारी चीनी मिलों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अवशेष देयों हेतु प्राविधानित धनराशि रू.20.00 करोड़ के सापेक्ष रू.15.00 करोड़ अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. के पत्र संख्या-2356/ यू.पी.ए.प्र.प्र.(लेखा)/सेवानिवृत्त/2023-24 दिनांक 09.08.2023 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का हुआ है कि. उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. की रूग्ण सहकारी चीनी मिलों के सेवनिवृत्त कर्मचारियों के अवशेष सेवानैवृत्तिक देयों का अधोलिखित मिलवार फॉट के अनुसार सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अवशेष दो भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में ऋण के रूप में प्राविधानित रु. 20.00 करोड (रूपए बीस मात्र) के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू. 15.00 करोड (रूपए पन्द्रह करोड़ मात्र) को निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं तथा आपको अधिकृत करते हैं कि कृपया वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-1 के पैरा-209 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार इस धनराशि को राजकोष से आहरित कर उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. की रूग्ण सहकारी चीनी मिलों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अवशेष देयों हेतु तत्काल उपलब्ध करायें:-

क्रम संख्या	मिल का नाम	धनराशि लाख रूपये में
1	पूरनपुर	460.00
2	साथा	80.00
3	घोषी	260.00
4	महमूदाबाद	350.00
5	सुल्तानपुर	350.00
योग		**1500.00**

नियम व शर्त/प्रतिबन्ध

(1) उक्त धनराशि उसी कार्य के लिए व्यय की जाएगी, जिस हेतु स्वीकृत की गयी है।

(2) राज्य सरकार की सामान्य व्यवस्थाओं के अन्तर्गत ऋण की अदायगी 10 वर्षों की जायेगी।

(3) ब्याय की दर 14 प्रतिशत (11.50+2.50) वार्षिक होगी तथा नियमित अदायगी पर 2.50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी तथा प्रभावी व्याज दर 11.50 प्रतिशत होगी।

(4) मूलघन/ब्याज अदायगी में व्यवधान होने पर 2.50 प्रतिशत की छूट अनुमन्य न होगी तथा प्रभावी ब्याज दर 14 प्रतिशत देय होगी। दण्डात्मक ब्याज दर अदायगी की निश्चित तिथि से अदायगी की वास्तविक तिथि के ठीक पूर्व तक लागू रहेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

(5) मूलधन एवं ब्याज की पहली किश्त की अदायगी की तिथि ऋण आहरण की पहली वर्षगांठ तिथि होगी। अगतर किश्तों की अदायगी इसी प्रकार एक वर्ष की समाप्ति पर पड़ने वाली वर्षगांठ तिथि को की जानी होगी।

(6) उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. ऋण के आहरण की सूचना उप महालेखाकार (राजकोष) कार्यालय महालेखाकार (लेखा) प्रथम, उ.प्र. प्रयागराज को शासनादेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्य, तिथि, लेखा शीर्षक सूचित करते हुए, भेजेंगे।

(7) संघ द्वारा ऋण की किश्तों का भुगतान किया जाए या उनके द्वारा व्याज जमा किया जाये, महालेखाकार कार्यालय को सूचना निम्न प्रकार से अवश्य भेजेंगे:-

(1) कोषागार का नाम-

(ii) चालान संख्या तथा दिनांक-

(iii) जमा धनराशि किश्त ब्याज-

(iv) लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत जमा किया गया किश्त ब्याज-

(v) शासनादेश संख्या और एस. एल. आर. का सन्दर्भ-

(vi) पिछले जमा का सन्दर्भ-

(8) चीनी आयुक्त आहरण का प्रत्येक वर्ष के लेखों का मिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेखों से अवश्य कराएँ।

(9) भविष्य में शासन द्वारा ऋण तभी स्वीकृत किया जायेगा जब यह सुनिश्चित हो जाये कि संघ ने इस प्रकार के

वार्षिक लेखों का मिलान महालेखाकार कार्यालय के लेखों से करा लिया गया है, ताकि प्रत्येक अवशेष ऋण की स्थिति शासन को स्पष्ट रहे और ऋणी संस्था महालेखाकार कार्यालय से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त करके शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।

((10) इस शासनादेश में उल्लिखित धनराशि के आहरण-वितरण तथा धनराशि के उपयोग की पूर्ण सूचना, बाउचर तथा आहरण की तिथि सहित, शासन को शीघ्र भेजी जाएगी। प्रधान प्रबन्धक द्वारा हस्ताक्षरित एवं निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाणपत्र भी अनिवार्य रूप से शासन/ महालेखाकार को प्रेषित किया जायेगा।

(11) इस देश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन वित्त नियन्त्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक आदि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दे दी जाए।

(12) ऋण सहकारी चीनी मिल्स के कर्मचारियों/सेवानिवृत्ति कर्मचारियों के अवशेष देयों के भुगतान हेतु दी जा रही धनराशि के व्यय व उपयोग किये जाने का मदवार विवरण सहित (प्रत्येक चीनी मिल का) प्रधान प्रबन्धक द्वारा हस्ताक्षरित एवं प्रबन्ध निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को शीघ्रातिशीघ्र (वितीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व) उपलब्ध कराया जायेगा।

(13) यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी को निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियमग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति, विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

(14) विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्रावधानित धनराशि का आवण्टन एवं आवण्टित/वितरित धनराशि के सापेक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-आ-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(15) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स ऑफ फाइनेन्शियल प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 15,00,00,000 (रुपये पंद्रह करोड मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या** 024 **लेखा शीर्षक** 6860041012200 रूग्ण सहकारी चीनी मिल्स के कर्मचारियों/सेवानिवृत्ति कर्मचारियों के अवशेष देयों के भुगतान हेतु कर्ज **मानक मद** 30 निवेश/ऋण के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-6-115-X-2023-24, दिनांक 02.11.2023 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
(शेषनाथ)
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-8/2023/ I/420756/2023/001-46-2002-002-2-2023, तद् दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
3- प्रबन्धक निदेशक, उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि., लखनऊ।
4-आदर्श कोषागार, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
5- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ. प्र. प्रयागराज।
6-वित्त नियंत्रक, कार्यालय, आयुक्त, गन्ना एवं चीनी, उ.प्र., लखनऊ।
7-वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-6 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(शेषनाथ)
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।